न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

. पीठासीन अधिकारी :– प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 18 / 2020 ई.रे. दिनांक 23.12.2025

1– सोहनलाल दत्तक पुत्र देवीलाल मेघवाल निवासी मानपुरा तहसिल बड़ीसादड़ी

– प्रार्थी

बनाम

1. रामीबाई बेवा देवीलाल मेघवाल निवासी मानपुरा तहसील बड़ीसादड़ी
2. सुशीला पुत्री देवीलाल मेघवाल निवासी मानपुरा हाल मुकाम पत्नी शंकरलाल मेघवाल निवासी उंठेलखेडा तहसील बड़ीसादड़ी
3. गीता पुत्री देवीलाल मेघवाल निवासी मानपुरा तहसील बड़ीसादड़ी
4. सवागी पुत्री देवीलाल मेघवाल निवासी मानपुरा हाल पत्नी धनराज मेघवाल नि. झांझलवास तह. डूंगला
5. कन्नी पुत्री देवीलाल मेघवाल निवासी मानपुरा हाल पत्नी माधुलाल मेघवाल निवासी संग्रामपुरा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुरा
6. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार एवं उप–पंजीयक बड़ीसादड़ी

–अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित– श्री जे.पी. वैष्णव वकील प्रार्थी
श्री एम.एच.खान वकील विपक्षी नं. 1, 3, 5

–:: आदेश::–

प्रार्थी की ओर सें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि –

1. उक्त उनवान का एक वाद पत्र न्यायालय आप में प्रार्थी की ओर से विपक्षीगण के खिलाफ प्रस्तुत किया जा रहा है जो ठोस तथ्यों पर आधारित होकर निश्चित ही प्रार्थी के हक में निर्णित होगा किन्तु प्रकरण के निस्तारण में समय लगने की संभावना होने से यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पृथक से पेश किया जा रहा है।
2. खाता संख्या 37 की आराजी खसरा नम्बर 100 रकबा 0.1700 हैक्टेयर लगानी 1.87 रूपया, नम्बर 14 रकबा 0.4100 हैक्टेयर लगानी 3.28 रूपया, नम्बर 318 रकबा 0.1100 हैक्टेयर लगानी 4.62 रूपया, नम्बर 321 रकबा 0.2800 हैक्टेयर लगानी 11.76 रूपया, नम्बर 324 रकबा 0.2200 हैक्टेयर लगानी 4.18 रूपया, नम्बर 344 रकबा 0.9200 हैक्टेयर लगानी 7.36 रूपया, नम्बर 83 रकबा 0.3800 हैक्टेयर लगानी 3.04 रूपया कुल किता 7 कुल रकबा 2.4900 हैक्टेयर लगानी 36.11 रूपया वाके मौजा मानपुरा तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौडगढ़ राजस्थान में स्थित है। वर्तमान में यह आराजीयात राजस्व रिकार्ड में कनीबाई, गीता बा[illegible]ई, सवागी बाई, सुशीला बाई के नाम पर शामलाती खातेदारी में दर्ज है।
3. विपक्षी कमांक 1 के पति तथास्थिति [illegible] कोई पुत्र संतान नहीं होने के कारण श्री देवीलाल मेघवाल द्वारा अपने जीवन काल में ही करी[illegible] 20 वर्ष पूर्व जाति समाज के रिति रिवाज अनुसार पंचों एवं रिश्तेदारों की मौजुदगी में [illegible] कर व गुढ बंटवा कर [illegible] को प्रार्थी के प्राकृतिक पिता एवं माता की सहमति से अपना गोदी [illegible] बनाया तभी से प्रार्थी [illegible]वीलाल का बहेसियत गोदी पुत्र देवी एवं उसकी पत्नी विपक्षी कमांक 1 रामी बाई के साथ रहता चला आ रहा है

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:22:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

एवं देवी लाल की सम्पत्ति पर देवीलाल के साथ काबिज चला आ रहा होकर उपयो उपभोग करता चला आ रहा है। तथा अपने प्राकृतिक पिता की सम्पत्ति में से अपनी हिस्सा छोडकर देवीलाल जी की सम्पत्ति पर बहेसियत गोदी पुत्र काबिज चला आ रहा है। श्री देवीलाल का स्वर्गवास दिनांक 29.10.2009 को हो चुकी है। श्री देवीलाल का अंतिम सस्कार एवं किया कर्म तथा सामाजिक कार्य प्रार्थी द्वारा सम्पादित किया गया एवं मृतक देवीलाल की पगड़ी का दस्तुर भी गोदी पुत्र की हैसियत से प्रार्थी के ही पंचों द्वारा कराया गया। प्रार्थी को गोद रखने के समर्थन में विपक्षीया कमांक 1 से 5 ने मिलकर प्रार्थी के पक्ष में एक गोदनामा 100/– रूप्या के स्टाम्प पर दिनांक 4.11.2009 को निष्पादित कर प्रार्थी को सुपुर्द कर दिया। देवीलाल की मृत्यु के बाद देवीलाल के परीवार की देखरेख आदि सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रार्थी द्वारा बखुबी निभाते हुए प्रार्थी की बहिनो अर्थात देवीलाल की पुत्रीयों के मायरा एवं अन्य सामाजिक कार्यों को सम्पादित किया जाता रहा है और आज भी समय समय पर सभी सामाजिक कार्य प्रार्थी द्वारा ही सम्पादित किये जा रहे है। वर्तमान में भी देवीलाल की आराजीयात पर प्रार्थी बहेसियत गोदी पुत्र काबिज चला आ रहा है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में वपिक्षीया कमांक 1 तथा विपक्षी कमांक 2 से 5 द्वारा प्रार्थी की बिना जानकारी के अपने नाम दर्ज कर ली जबकि इनके साथ साथ प्रार्थी का नाम भी देवीलाल की मृत्यु के बाद विरासत के बहेसियत गोदी पुत्र राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिए था।

4. वादग्रस्त आराजीयात मृतक देवीलाल के 1/3 हिस्से की विपक्षी कमांक 1 से 5 के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थी को अपने हक से वंचित करने के आशय से इस आराजीयात को हस्तांतरण करने पर आमादा है इसलिये विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाना आवश्यक है कि वे वादग्रस्त आराजीयात के किसी भी भू भाग को किसी को भी रहन बय बक्षीय या अन्य तरीके के मूल वाद के निस्तारण तक हस्तान्तरण न करें न करावे एवं पंजीयन न करें न करावें तथा प्रार्थी को अपनी कब्जे की आराजीयात पर शांती पुर्वक उपयोग उपभोग करने दें।

5. विपक्षी कमांक 1 से 5 द्वारा अपने नाम पर दर्ज आराजीयात को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण करने हेतु ग्राहकों की तलाश की जा रही है तथा प्रार्थी को धमकी दी जा रही है कि वादग्रस्त आराजीयात जो देवीलाल जी की है उसे छोड़ कर भाग जा अन्यथा हाथ पांव तोड देगें इसलिये विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

6. प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थी को ऐसी क्षति होगी जिसकी पुर्ति नकदी में सम्भव नही हो सकेगी तथा प्रार्थी हमेशा के लिये अपनी आराजीयात से वंचित हो जावेगा इसलिये विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना है कि विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजीयात के किसी भी भू भाग को किसी को भी रहन बय, बक्षीश या अन्य तरीके से हस्तांतरीत न करें न करावें पंजीयन न करें न करावें तथा राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन न करें न करावें एवं प्रार्थी के उपयोग उपभोग में किसी तरह की दखलंदाजी न करें न करावें।

उक्त प्रकरण के विपक्षी कमांक 1 व 3 की और से जवाब निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः।

1. प्रार्थना पत्र कि कलम सं. 1 असत्य होकर अस्वीकार है। प्रार्थी ने मिथ्या एवं निराधार तथ्यों पर वाद प्रस्तुत किया है जो खारीज होने योग्य है।
2. प्रार्थना पत्र कि चरण सं. 2 में वर्णित अनुसार कृषी भूमी स्थित होना स्वीकार है और उक्त कृषी भूमी विपक्षी सं. 1 से 5 व रामलाल की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। झालीबाई नाम कि किसी महिला कि जानकारी प्रतिवादीगण को नही है। न ही ऐसा कोई [illegible] रिकार्ड में दर्ज है।
3. वाद पत्र कि चरण सं. 3 में वर्णित अनुसार देवीलाल [illegible] के [illegible] नहीं होने का तथ्य स्वीकार है। शेष तथ्य पुरी तरह असत्य आधारहीन होकर अस्वीकार है। प्र[illegible] को विपक्षीगण के परिवार द्वारा कभी भी गोदी पुत्र के रूप में न तो अपनाया गया है न ही गोद [illegible] कोई रस्म सम्पन्न हुई। स्व. देवीलाल जी सम्पत्ति पर उनके विधिक वारिस विपक्षी सं. 1 से [illegible] काबिज है और प्रार्थी का कभी कोई कब्जा वादग्रस्त भूमी पर नही रहा है। स्व देवीलाल जी का अन्तिम संस्कार एवं समस्त किया कर्म प्रार्थी ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:22:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
वड़ीसादड़ी

नहीं किया बल्कि सब विपक्षीगण ने किया है। जिस गोद नामे का वर्णन प्रार्थी ने किया है ऐस दस्तावेज के निष्पादन कि विपक्षीगण को कोई जानकारी नही है। ऐसा दस्तावेज कोई विधिक प्रभाव भी नही रखता है क्योंकि यदि दत्तक ग्रहण लिखित दस्तावेज के माध्यम के किया जावे तो ऐसा दस्तावेज पंजीकृत व सम्यक रूप से स्टाम्पित होना चाहिए जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अपुर्ण मुद्रांकित एवं अपंजीकृत होने से कोई विधिक प्रभाव नही रखता है। और इसके आधार पर खातेदारी कि घोषणा क्लेम नही जा सकती है। विपक्षीगण के परिवार में कोई पुरूष उत्तराधिकारी नही होने से सम्पत्ति हड़पने को गलत आधारों पर वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ है। मृतक के जो विधिक वारिस है और सम्पत्ति के कब्जे में है इसकी जांच होकर ही उन्हें खातेदारी अधिकार विरासत से प्राप्त हुए है जिसमें प्रार्थी किसी भी दृष्टी से कोई अधिकार प्राप्त नही करता है।

4. प्रार्थना पत्र कि कलम सं. 4 असत्य होकर अस्वीकार है। वादग्रस्त आराजी विपक्षीगण के खातेदारी में दर्ज है। एवं विपक्षीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है। विपक्षीगण वादग्रस्त आराजी को हस्तांतरण करने पर अमादा नही है। प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा ही नही है। प्रार्थी विपक्षीगण को किसी प्रकार की अस्थाई निषेज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी नहीं है।
5. प्रार्थना पत्र कि कलम सं 5 असत्य होकर अस्वीकार है। वादग्रस्त आराजी विपक्षी सं. 1 से 5 के खातेदारी में दर्ज है। एवं विपक्षीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है। विपक्षीगण भूमी हस्तांतरण हेतु किसी प्रकार का ग्राहक नही तलाश कर रह रहे है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का किसी प्रकार का कब्जा ही नही है तो प्रार्थी को धमकि देने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रार्थी विपक्षीगण को किसी प्रकार की अस्थाई निषेज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी नहीं है।
6. प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 6 असत्य होकर अस्वीकार है। प्रार्थी का पृथम दृष्टया केस प्रमाणिंत नही है सुविधा का सन्तुल एवं अपुर्तनिय क्षति का सिद्धन्त भी प्रार्थी के पक्ष में नही है। प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नही है। विपक्षीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार होकर काबिज है एवं खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीहै। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है।

<u>विशेष कथन</u>

1. प्रार्थी ने स्वंय को गोद पुत्र बताकर खातेदारी की घोषणा क्लेम की है जो अनुतोष आप न्यायालय द्वारा प्रदान नही किया जा सकता है। गोद पुत्र की घोषणा सक्षम सिविल न्यायालय से कराये बिना वादी इप्सित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही रहता है।
2. प्रार्थी का वाद आधार दस्तावेज अपुर्ण मुद्रांकित एवं अपंजीकृत होने से साक्ष्य में ग्राह्य नही है और वाद एवं प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है।
3. धारा 10 व 11 हिन्दु दतक ग्रहण अधिनियम में विहित अनिवार्यताओं की पुर्ती और इसके अनुरूप प्रार्थी द्वारा क्लेम किया गया दतक गृहण मान्य नही होने से गोद पुत्र के आधार पर प्रस्तुत वाद एवं प्रार्थना पत्र पोषणित नही रहता है।
4. विपक्षीगण वादग्रस्त भूमी के खातेदार एवं मृतक देवीलाल के विधिक वारिसान होने से प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी है और इसी हैसियत में वादग्रस्त भूमी पर काबिज है वैध आधिपत्यधारी खातेदार कृषक के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा कानुनन जारी नही की जा सकती है।
5. प्रार्थी ने विपक्षीगण को नाजायज परेशान करने की गरज से मिथ्या प्रार्थना प्रस्तुत किया जो 10000/– रूपये के विशेष हर्जाने से खारीज होने योग्य है।

अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने का आदेश फरमावें।

वकील उभयपक्ष की बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु विधि के तीन बिन्दुओं को प्रमाणित करना होता है

1– प्रथम दृष्टया मामला
2– सुविधा का संतुलन
3– अपूरणीय क्षति

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:22:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
वड़ीसादड़ी

1– **प्रथम दृष्टया मामला**

पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनों व दस्तावेजो से यह प्रमाणित होता है कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार हैं। जिनको अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता। अगर अप्रार्थीगण को पाबंद कराया गया तो अप्रार्थीगण का अपूरणीय क्षति होगी न कि प्रार्थी को कोई क्षति होगी। सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है। इस आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है।

2. सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :–

चूंकि प्रार्थी का वाद आधार दस्तावेज अपूर्ण मुद्रांकित एवं अपंजीकृत है। जिससे प्रार्थी का प्रथम दृष्टिया केश प्रमाणित नहीं है । तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है । विपक्षीगण खातेदार काश्तकार है जिसको जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। अतः अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है । अतः तीनो ही तात्विक बिन्दुओं को प्रार्थी साबित करने में असफल रहा है।

–:निर्णयः–

पत्रावली का अवलोकन करने पर जाहिर हुआ कि प्रार्थी को कोई अपूरणीय क्षति व असुविधा नहीं हो रही है बल्कि विपक्षीगण रिर्कोडेड खातेदार काश्तकार हैं । अगर इनको अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो अपूरणीय क्षति व असुविधा विपक्षीगण को हो सकती है। इस प्रकार दोनो बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध तय किये जाते है। तीनो की तात्विक बिन्दुओं को प्रार्थी साबित करने में असफल रहने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन तथ्यों पर प्रस्तुत किये जाने से अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 (प्र. सं. 18/2020) आर.टी.एक्ट. का सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 23.12.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी • बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़) • सत्यमेव जयते

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:22:41 IST
Reason: SelfAttested